152

समक्ष : राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

रेस्टोरेशन /2016 सतना रेस्टो 8031-II/16

451

1.ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय पुत्र गणेश प्रसाद
2.तेजराज पाण्डेय पुत्र श्री गणेश प्रसाद
3.सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री हीरामणि पाण्डेय
समस्त निवासीगण शाहपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

.........आवेदकगण

विरूद्ध

बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री सुन्दरलाल पाण्डेय निवासी शाहपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना

........अनावेदक

11-16

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को पुनःरेस्टोरेशन किये जाने वावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 9 एंव सहपठित धारा 32 म.प्र. भूराज्य संहिता के अंतर्गत

मान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार मझगवा के प्रकरण क 13/ए–06/2007–08 मे पारित आदेष दिनांक 02.05.2013 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष निगरानी 2182/दो/2013 प्रस्तुत की है जो दिनांक 2.3.2016 से निरस्त कर दी गई जिस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका रिव्यू प्रकरण क 385/दो/2016 दर्ज किया गया जिसमें ग्रहता के विन्दु पर सुनवाई हेतु तिथी 12/7/16 नियत थी उसके वाद 13/7/16 नियत की गई जिसमे सुनवाई हेतु प्रकरण नम्बर पर आने वाला था परन्तु अभिभाषक अन्य न्यायालय मे कुछ समय के लिये चला गया उसके वाद उसे प्रकरण की जानकारी नही मिली क्या हुआ । काफी खोज की गई परन्तु कोई जानकारी नही मिली वाद में पता चला कि श्रीमान महोदय द्वारा द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में डी.डी कर समाप्त कर दिया गया है।
2. यहकि, श्रीमान महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 13.7.2016 से अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरण को पुनःचालू कर सुनवाई किया जाना न्याय संगत है। मेरिट पर सुनवाई कर गुण दोषो पर निराकरण किया जाना न्याय सगत है। इसलिये उक्त न्याय हित में प्रकरण को पुनः सुनवाई किया जाना न्याय संगत हैं ।
3. अन्य बिन्दु सुनवाई के समय उठाये जावेगें ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनःसुनवाई रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः रेस्टोर्ड किया जाकर सुनवाई किया जाना न्याय सगत है।

आवेदकगण
ईश्वरी प्रसाद व अन्य
द्वारा अभिभाषक
सुनील सिंह जादौन एडवोकेट.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो0 8031–दो/16 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
16.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें रेस्टो0 आवेदन पर तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि रिव्यु प्रकरण क्रमांक 985–दो/13 में तारीख पेशी दिनांक 12.7.16 नियत थी उसके बादि 13.7.16 नियत की गई थी लेकिन अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। आवेदक अधिवक्ता को इसकी जानकारी होने पर तुरंत रेस्टो0 आवेदन प्रस्तुत किया । अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर रिव्यु प्रकरण 985–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 13.7.16 पुनः नंबर पर लिया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है, एवं रिव्यु प्रकरण 985–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 13.7.16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो0 मान्य करते हुये समाप्त किया जाता है। सदस्य	